अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखेंअभिलेख हस्तक, १९४१कानियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0–46/2015

हरिकिशोर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
27.10.2016	यह अपील वाद विद्वान आयुक्त सारण प्रमण्डल छपरा के आपूर्ति रिविजन संख्या–279/2013 में पारित आदेश 26.10.2015 के आलोक में दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमण्डल स्तरीय गठित जाँचदल द्वारा हरिकिशोर सिंह, ज0वि0प्र0वि0 अनु0सं0–10/07 पंचायत–अरना थाना–मशरक जिला–सारण की जनवितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण किया गया और वितरण अवधि में दुकान बंद पायी गई। उपभोक्ताओं द्वारा भी विक्रेता के विरूद्व अनियमित वितरण के संबंध में लिखित शिकायत की गयी। फलस्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक–3521 दिनांक–15.12.10 के द्वारा बिन्दुवार कारण पृच्छा की गई। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोष जनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक–190 दिनांक–13.01.11 के द्वारा विक्रेता की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया। इस न्यायालय के द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक–26.08.2013 द्वारा आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व विद्वान आयुक्त सारण प्रमण्डल, छपरा के न्यायालय में आपूर्ति रिविजन वाद सं0–279/2013 दायर किया गया, जिसके द्वारा सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांक–26.10.2015 द्वारा उक्त वाद को सुनवाई हेतु रिमाण्ड पर इस न्यायालय को भेजा गया। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विद्वान आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा विक्रेता की दुकान को एक दिन बंद होने को ऐसी गलती नहीं मानी गयी है जिसके लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उसकी दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाए। इससे संबंधित कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पारित किये जाने का भी उल्लेख किया गया है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा किया गया। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा	

जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै पाता हूँ कि निरीक्षण तिथि को अपीलकर्ता की दुकान बंद थी अपीलकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से सिर्फ इतना ही ज्ञात नही होता है, बल्कि विक्रेता के द्वारा ढेर सारी अनियमितताओं के बरते जाने का भी पता चलता है। अपीलकर्ता के द्वारा कारण पृच्छा के साथ समर्पित वितरण पंजी में सितम्बर एवं नवम्बर माह के कई उपभोक्ताओं के नाम के सामने अलग–अलग कूपन संख्या दर्ज होने का उल्लेख अनुमण्डल पदाधिकारी मढ़ौरा द्वारा अपने आदेश में किया गया है जो अपने आप में एक गंभीर अनियमितता है। स्पष्टतः अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा सभी साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर आदेश पारित किया गया है।

इस तरह, मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रावधानों के बिपरीत आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। मै अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नही करता हूँ। अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

23/10/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/10/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1270 /दिनांक 03.11.16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
03/11/16